

वित्तीय दिशा निर्देश

1. कार्यक्रम का नाम – आशा
2. बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर)
– Two Sari & Rechargeable Torch
3. बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर)
– Part-B – 1.1.4b
4. कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)
– राज्य में आशाओं के प्रोत्साहन हेतु दो साड़ी प्रति लक्षित आशाओं के संख्या के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिये जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा इस मद में @600 रुपये प्रति आशा (दो साड़ी के लिए) अनुमोदित किया गया है।
5. इकाई राशि
–@ 600 रुपये/ASHA(दो साड़ी के लिए)
6. वित्तीय दिशा निर्देशन
–आशाओं के प्रोत्साहन हेतु प्रति आशा दो साड़ी (@600 रुपये की दर से) दिया जाना है। इस मद में दी गयी राशि जिले के लक्षित आशाओं के संख्या के अनुरूप दिया जा रहा है। साड़ी के क्रय हेतु दर का निर्धारण राज्य स्वास्थ्य समिति स्तर से किया जायेगा। दर निर्धारित होने के उपरांत चयनित एजेंसी के पूर्ण विवरण और निर्धारित दर को पत्र के माध्यम से सभी जिलों को प्रेषित किया जायेगा। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित दर पर चयनित एजेंसी से साड़ी क्रय और भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। साड़ी के क्रय और आशाओं में वितरण की जबाबदेही जिला स्वास्थ्य समिति की होगी।
8. इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
SHSB/ASHA(PM)/07/08/Part-I/19388 Dated- 24.08.2010
SHSB/ASHA(PM)/07/08/Part-I/19389 Dated- 24.08.2010
8. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी
– वसुधा गुप्ता, टीम लीडर, ए.आर. सी.
9. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी

– 9473199393 / 0612 – 2284666

Skumar



Vasudha Gupta
20/7/12